उत्तर प्रदेश सरकार
**उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड**
तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, 19–सी, विधानसभा मार्ग,
उ0प्र0, लखनऊ–226001
दूरभाष–0522–2236172, फैक्स–0522–2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

# सूचना / विज्ञप्ति

**पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर मौलिक रूप से समूह ''घ'' के पद पर नियुक्त कर्मचारियों के माध्यम से भरे जाने हेतु 164 रिक्त पदों के परिप्रेक्ष्य पात्र 70 कार्मिकों की विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में ''उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय संवर्ग सेवा नियमावली–2015 एवं (प्रथम संशोधन) नियमावली–2015 एवं (समय–समय पर यथा–संशोधित) नियमावली–2020 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रकिया के अर्न्तगत कम्प्यूटर टंकण परीक्षा की प्रकिया।**

-----

संख्याः पीआरपीबी–चार–10(15) / 2021      दिनांकः जून 09 2022

उ0प्र0 पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, लेखा नियमावली 2015 यथासंशोधित 2020 की अधीन सम्पन्न की जा रही है, जिसमें निहित प्रावधानानुसार 164 रिक्त पदों की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति की प्रकिया के अर्न्तगत टंकण परीक्षा की प्रकिया हेतु निम्न प्रावधान हैः–

**पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, लिपिक**

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 यथासंशोधित 2020 के नियम 10 के उपनियम–1(ख) में निम्नानुसार अभिलिखित हैः–

**उपनियम–1(ख)**

कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुये यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित) किया जाये।

**उपरोक्त पदोन्नति प्रकिया के अर्न्तगत हिन्दी टंकण एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा के मूल्यांकन की प्रकिया एवं मानक निम्नानुसार बोर्ड स्तर पर निर्धारित किये गये हैंः–**

**पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक)**

**कम्प्यूटर टंकण परीक्षा**

| टंकण की भाषा | गति | टंकण हेतु निर्धारित समय | टंकण के लिये दिये गये कुल शब्द (लगभग) | शुद्धता का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| अंग्रेजी टंकण | 30 शब्द प्रति मिनट | 15 मिनट | 500 | 85 प्रतिशत |
| हिन्दी टंकण | 25 शब्द प्रति मिनट | 15 मिनट | 400 | 85 प्रतिशत |

**अशुद्वियों का चिन्हांकन तथा शुद्धता एवं टंकण गति के निर्धारण विषयक सूत्र**

**(i)त्रुटि–**

1–शब्द अथवा आकृति के लोप होने पर।
2–गलत शब्द या आंकडों के प्रतिस्थापन पर।
3–किसी शब्द को आंकडे या गद्यांश में न होने के बावजूद जोड़ना।
4–हस्तलिखित जोड़ / सुधार / सम्मिलन।

**(ii)त्रुटि का आंकलन करके शुद्धता का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगाः–**

शुद्धता =**शुद्ध शब्दों की संख्या x 100** / गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या

**(iii)** टंकण गति =**अभ्यर्थियों द्वारा टंकित कुल शब्द** / अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त समय

कम्प्यूटर पर टंकण के लिए परीक्षा केन्द्र/स्थान पर प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थियों को स्वयं का कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित केन्द्र पर कराया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनायें इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

29.6.2022

**अपर सचिव, प्रोन्नति**
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।